कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 224 दिनांकः– 02/03/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग–NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़–गोला–ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत हेतु 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल अंतर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 67 दिनांक 19.01.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 451 दिनांक 01.03.2023 वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल राँची का पत्रांक 115 दिनांक 20.01.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 336 दिनांक 22.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/ROAD/146250/2021 कुल 99.7862 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की पांच–पांच प्रतियां प्रत्येक वन प्रमंडल से Hard Copy एवं Online इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी।

प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में कतिपय त्रुटियां पाई गई थी जिसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 94 दिनांक 02.02.2023 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया एवं बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी, द्वारा पार्ट–II की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति website पर अपलोड करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया।

तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन सरंक्षक, बोकारो के पत्रांक 451 दिनांक 1.03.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 336 दिनांक 22.02.2023 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन तथा ऑन–लाईन प्रस्ताव एवं बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी, का पार्ट–II को प्रतिहस्ताक्षरित प्रति website पर अपलोड करते हुये प्राप्त हुआ है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः–

1. प्रस्तावित वनभूमि बोकारो, रामगढ़, राँची वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है। इस परियोजना में कुल **99.7862** हे0 वनभूमि में (अधिसूचित वनभूमि 32.4649 हे0 एवं जंगल–झाड़ी का रकवा 67.3213 हे0) प्रस्तावित है।
2. Form-A पार्ट–I में उद्धृत सूचना के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को इस परियोजना हेतु कुल 383.8639 हे0 भूमि की आवश्यकता है जिसमें 99.7862 हे0 वनभूमि एवं 284.0777 हे0 गैर वनभूमि शामिल है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

क्र0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	राँची	0.7698	3.4859	4.2557	0.28
2	बोकारो	6.9352	59.6084	66.5436	0.5
3	रामगढ़	24.7599	4.227	28.9869	0.5
	कुल –	**32.4649**	**67.3213**	**99.7862**	

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Form- A (Part-I) विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ दर्ज की गई है साथ ही निर्धारित Format Form- A (Part-I) में आवश्यक अभियुक्ति दर्ज कर **website** पर अपलोड किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
5. वन प्रमंडल राँची, रामगढ़ एवं बोकारो वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन (Part-II) अनुशंसा प्रमाण–पत्र सहित उपलब्ध कराया गया है साथ ही निर्धारित Format Part-II में आवश्यक अभियुक्ति दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

02.03.2023

6. पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची एवं बोकारो का मंतव्य दर्ज है साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।
8. प्रस्ताव के साथ टोपो शीट संलग्न है।
9. प्रस्ताव के साथ Village MAP संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विषलेशन संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ Justification for the utilization of forest land संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का DGPS Report (geo–reference Map, KML file) संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्रमंडलवार / ग्रामवार / प्लॉटवार / रकबावार संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों, द्वारा अंकित पार्ट II के अनुसार प्रभावित होने वाली वृक्षों की कुल **संख्या–15569** है।
15. प्रस्ताव के साथ FRA 2006 के तहत् उपायुक्त, राँची के पत्रांक 391 (i) दिनांक 10.09.2022 द्वारा 4.2557 हे0 हेतु, उपायुक्त रामगढ़ के पत्रांक 164 दिनांक 07.02.2023 द्वारा 21.0144 हे0 हेतु एवं उपायुक्त बोकारो के पत्रांक 296 दिनांक 24.02.2023 द्वारा 66.5436 हे0 हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त है साथ ही इस क्रम में आमसभा / ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है।
16. FRA 2006 के संबंध में यह भी सूचित करना है कि इस परियोजना में रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत प्रयुक्त कुल 28.9869 हे0 वनभूमि अपयोजन के विरूद्ध मात्र 21.0144 हे0 का FRA प्रमाण पत्र प्राप्त है शेष 7.9725 हे0 प्रमाण पत्र हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता दी गयी है जिसे प्राप्त होने पर अलग से समर्पित किया जायेगा।
17. इस परियोजना में प्रस्तावित कुल 67.3213 हे0 जंगल–झाड़ भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, राँची के पत्रांक 395 (i) दिनांक 15.09.2022 द्वारा 3.4859 हे0 हेतु एवं उपायुक्त रामगढ़ के पत्रांक 1665 / (रा), 1666 (रा) दिनांक 01.11.2022 द्वारा 4.227 हे0 हेतु एवं आयुक्त उतरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक 233 / रा0 दिनांक 09.02.2023 द्वारा 59.6084 हे0 हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
18. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization Letter संलग्न है।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA हेतु आवश्यक राशि जमा करने से संबंधित बचनबद्धता दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
20. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीनों वन प्रमंडलों में अपयोजन होने वाली प्रस्तावित कुल **99.7862** हे0 वनभूमि के दो गुणे **199.5724** हे0 अवकृष्ट वन भूमि के विरूद्ध कुल **201.885** हे0 अवकृष्ट वन भूमि का चयन किया गया है, जो प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम	थाना / थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे0
1	राँची	बालू	राँची / 29	25	9.55
				कुल-	**9.55**
2	रामगढ़	बान्दा	गोला / 09	1967, 1984, 2010	15.945
		दारिद	पेटरवार / 65	654	7.18
		दान्तु	कसमार / 64	1458	2.63
		सोनहार	कसमार / 63	275, 252, 480, 497, 340	8.70
		सोनपुरा	कसमार / 62	323, 324, 305	7.64
		कजरूम	पेटरवार / 68	209	5.25
		हसलता	कसमार / 69	388	6.70
		टकाहा	पेटरवार / 27	234	4.27
				कुल-	**58.315**
3	बोकारो	लावालोन्ग	गोमीया / 39	254, 1, 18, 343	50.50
		गोमीकरमाटांड	गोमीया / 103	467, 126, 240	20.13
		दानिया	गोमीया / 32	560, 561	20.87
		कुर्कनालो	गोमीया / 94	728, 1236	29.32
		खखांडा	गोमीया / 38	414, 418	13.20
				कुल-	**134.02**
				Grand Total-	**201.885**

02.03.2023

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

21. संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों द्वारा अपने (Part-II) के कंडिका–11 के उपकंडिका (C) में सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Violation नहीं किया गया है।
22. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी बायोस्पर, टाईगर रिजर्व अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है।
23. प्रस्ताव के संबंध में CWLW की मंतव्य हेतु अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
24. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्ताव को स्टेज–I की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, बोकारो/राँची से प्राप्त प्रस्ताव की तीन–तीन मूल प्रतियाँ प्रत्येक वन प्रमंडल से इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **99.7862 हे०** वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:–यथोक्त।
प्रस्ताव तीन–तीन
मूल प्रतियाँ प्रत्येक वन प्रमंडल से

विश्वासभाजन
02.03.2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

2.3.23

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Construction of Bharatmala Pariyojana of Jaina More to Gola- (NH-23) & Gola to Ormanjhi (NH-320B) section in the state of Jharkhand.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of ***99.7862 ha*** *Forest land*

Date :- 02.03.2023

Place :- Ranchi

Signature

02.03.2023

(Sanjay Srivastava)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)